



कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक: यू.ओ.पी./प्र.म./2026/484

दिनांक: 30-09-2026

कार्यालय आदेश

विषय: विश्वविद्यालय प्रबंधन मण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) के अध्याय-5 की धारा 28 की उपधारा 2(क) से 2(ज) के अनुसार पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रबंधन मण्डल हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सदस्यों को मनोनीत किया गया था।

प्रबंधन मण्डल की बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 को प्रस्तावित है। कुछ सदस्यों में परिवर्तन अपेक्षित होने, एक सदस्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत न रहने तथा कतिपय पदों के रिक्त होने के कारण, उक्त अधिनियम के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रबंधन मण्डल की संरचना धारा 28 की उपधारा 2(क) से 2(ज) के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है:

प्रबंधन मण्डल के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	उपधारा	सदस्य का नाम एवं पदनाम	प्रबंधन मण्डल में स्थिति	टिप्पणी
1	2(क)	परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, माननीय कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	अध्यक्ष	यथावत्
2	2(ख)	डॉ. साध्वी देवप्रिया जी, प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	सदस्य	यथावत्
3	2(ग)	डॉ. एन.पी. सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.), कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार	सदस्य	प्रयोजन निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट; यथावत्
4	2(ग)	डॉ. सुनील जोशी, कुलपति, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य	प्रयोजन निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट; यथावत्
5	2(ग)	डॉ. सत्येन्द्र मित्तल, प्रति-कुलपति एवं निदेशक-दूरस्थ शिक्षा, पतंजलि विश्वविद्यालय एवं पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	सदस्य	प्रयोजन निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट; यथावत्
6	2(ग)	डॉ. यशदेव शास्त्री, ऋतम् कुंज, विद्या विहार कॉलोनी, कनखल, हरिद्वार	सदस्य	प्रयोजन निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट; यथावत्

क्र.सं.	उपधारा	सदस्य का नाम एवं पदनाम	प्रबंधन मण्डल में स्थिति	टिप्पणी
7	2(ग)	डॉ. अनुराग वाष्णीय, उपाध्यक्ष, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार	सदस्य	प्रयोजन निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट; यथावत्
8	2(घ)	प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो अपर सचिव स्तर से न्यून न हो	सदस्य	शासन को पत्र प्रेषित किया गया है; नामनिर्देशन प्राप्त होने पर पृथक् से अधिसूचित
9	2(ड)	प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	सदस्य	नया मनोनयन
10	2(ड)	प्रो. (डॉ.) एन.एस. गणेश अय्यर, संकायाध्यक्ष, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय	सदस्य	नया मनोनयन
11	2(ड)	डॉ. ऋत्विक् सहाय बिसारिया, संकायाध्यक्ष, शोध एवं शिक्षण	सदस्य	नया मनोनयन
12	2(च)	डॉ. ए.के. सिंह, प्रो., संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	सदस्य	यथावत्
13	2(च)	डॉ. चण्डका श्री कृष्णा, आचार्य, योग विज्ञान विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय	सदस्य	नया मनोनयन
14	2(छ)	सी.ए. रिचा भगत, वित्त अधिकारी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	सदस्य	यथावत्
15	2(ज)	डॉ. डी.के. सक्सेना, कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	सदस्य सचिव	यथावत्

परिवर्तन का सार

- उपधारा 2(ड) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा चक्रीय आधार पर नामनिर्दिष्ट अधिकतम 03 (तीन) संकायाध्यक्ष / आचार्य / निदेशक के रूप में प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल (संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय), प्रो. (डॉ.) एन.एस. गणेश अय्यर (संकायाध्यक्ष, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय) तथा डॉ. ऋत्विक् सहाय बिसारिया (संकायाध्यक्ष, शोध एवं शिक्षण) को मनोनीत किया जाता है। यह मनोनयन पूर्व नामनिर्दिष्ट डॉ. साध्वी देवप्रिया (संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय), डॉ. तोरन सिंह (संकायाध्यक्ष, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय, जो विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं) तथा एक रिक्त पद के स्थान पर किया गया है।
- उपधारा 2(च) के अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट दो आचार्यों में से डॉ. ए.के. सिंह यथावत् रहेंगे तथा रिक्त पद पर डॉ. चण्डका श्री कृष्णा, आचार्य, योग विज्ञान विभाग को मनोनीत किया जाता है।
- उपधारा 2(घ) के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। नामनिर्देशन प्राप्त होने पर उसे पृथक् से अधिसूचित किया जाएगा।
- उपधारा 2(क), 2(ख), 2(ग), 2(छ) एवं 2(ज) के सदस्य यथावत् रहेंगे।

निर्देश

1. मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल एवं सदस्यता की शर्तें उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 तथा तद्दीन बनाए गए परिनियमों के अनुसार होंगी।
2. सभी मनोनीत सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रबंधन मण्डल की बैठक में उपस्थित होकर अपना योगदान प्रदान करें।
3. बैठक की सूचना एवं कार्यसूची कुलसचिव कार्यालय द्वारा सदस्यों को पृथक् से प्रेषित की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हस्ताक्षरित

(डॉ. डी.के. सक्सेना)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधन मण्डल, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. डॉ. साध्वी देवप्रिया जी, प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय।
3. प्रबंधन मण्डल के समस्त मनोनीत सदस्य (व्यक्तिगत सूचना हेतु)।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, पतंजलि विश्वविद्यालय।
6. कार्यालय अभिलेख / सूचना पट्ट / विश्वविद्यालय वेबसाइट।